न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या :– 139/2021 (नया) एवं 299/2013 (पुराना)

उनवान
बिरजू सिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार

1. बिरजूसिंह आयु 68 वर्ष पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं। (मृतक)

1/1 श्रीमती नानी देवी पत्नी स्व. बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/2 नवल सिंह पुत्र स्व. बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/3 हिम्मत सिंह पुत्र स्व. बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/4 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/5 भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बिरजूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

1/6 श्रीमती भंवरी कंवर पुत्री स्व. बिरजूसिंह पत्नी थानसिंह निवासी रिडमलास तह लाडनू जिला नागौर।

1/7 श्रीमती कौशल कंवर पुत्री स्व. बिरजूसिंह पत्नी भागीरथ सिंह निवासी रिडमलास तह लाडनू जिला नागौर।

1/8 श्रीमती मधुकंवर पुत्री स्व. बिरजूसिंह पत्नी विवेक सिंह निवासी जयपुर।

2. श्रीमती उम्मेद कंवर आयु 63 वर्ष पत्नी बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

3. श्योपालसिंह आयु 45 वर्ष पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

4. जितेन्द्रसिंह आयु 38 वर्ष पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

5. रविन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

6. सत्येन्द्रसिंह आयु 32 वर्ष पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी शेखावत कोलोनी बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।

–प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ताः—

1. श्री इन्द्रजीत शर्मा :—वादीगण की ओर से।

वादपत्र बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :— 21.02.22

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं के स्थायी निवासीगण है वादी नं. 1 के पिता व वादीगण 2 लगायत 6 के दादा पहाड़सिंह एवं जिनका सजरा निम्न प्रकार से है— पहाड़सिंह पुत्र गणपत सिंह जिनके पुत्र बिरजूसिंह वादी नं. 1 व बहादुरसिंह (फोत जनवरी 2001) को और बहादुरसिंह के वारिस उम्मेदकंवर (वादी नं. 2), श्योपालसिंह (वादी नं. 3), जितेन्द्रसिंह (वादी नं. 4), रविन्द्रसिंह (वादी नं. 5), सत्येन्द्रसिंह (वादी नं. 6) है। वादी बिरजूसिंह के पिता व वादीनी श्रीमती उम्मेद कंवर के ससुर व वादीगण 3 लगायत 6 के दादा उक्त श्री पहाड़सिंह के दो पुत्र क्रमशः वादी बिरजूसिंह व बहादुरसिंह हुए। पहाड़सिंह के पुत्र बहादुरसिंह का देहान्त हो चूका है जिनके विविध वारिसान 2 लगायत 6 है। वादी सं. 1 के पिता व वादीनी सं. 2 के ससुर व वादीगण 3 लगायत 6 के दादा उक्त श्री पहाड़सिंह पुत्र स्व. गणपत सिंह की कब्जा काश्त की जमीन पुराना ख.नं. 1230 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं में अवस्थित है। उक्त पहाड़सिंह पुत्र गणपत सिंह ने ऊपर वर्णित जमीन को ठिकाने के समय से ही काश्त किया तथा उनके मरणोपरान्त उनके पुत्र वादी बिरजूसिंह व बहादुरसिंह ने काश्त किया उक्त पहाड़सिंह का सन् 1981 में देहान्त हो गया था। उनके जीवनकाल से व उनके मरणोपरान्त उक्त वादग्रस्त जमीन पहाड़सिंह के दोनों पुत्रों क्रमशः बिरजूसिंह व बहादुरसिंह की कब्जा एवं काश्त में होने से जरिए उत्तराधिकार इनको प्राप्त हुई पहाड़सिंह के उक्त दोनों पुत्रों बिरजूसिंह व बहादुरसिंह वादग्रस्त जमीन पर बहिस्सा बराबर बराबर यानि 1/2 — 1/2 हिस्से पर काबिज हुए व काश्त करने लगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रभावी हुआ उसमें यह प्रावधान किया गया कि उक्त अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख तक जो भी कृषक काबिज थे वे स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही व जागिर खालसा होने के पूर्व से ही उक्त पहाड़सिंह की वादग्रस्त जमीन पर कब्जा एवं काश्त होने से वे उक्त वादग्रस्त जमीन के काश्तकार हो गये। संवत् 2012 की जमाबंदी के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि इसके कृषक के खाने में पहाड़सिंह पुत्र गणपत दर्ज है किन्तु रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत तौर से उक्त वादग्रस्त जमीन गैर मुमकिन टीबा इनकी गैर खातेदारी में दर्ज हो गई। यहां यह दर्ज किया जाना भी उचित है कि वादग्रस्त जमीन उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से समय व इसके पूर्व से ही ठिकाने के समय से ही उक्त पहाड़सिंह द्वारा लगातार काश्त की जा रही थी उक्त वादग्रस्त जमीन कभी भी टीबा के रूप में नहीं रही इसलिए उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड

वादग्रस्त जमीन बाबत कायम किया गया है जो काबिले दुरूस्त है। वादग्रस्त जमीन के उत्तर में सवाईसिंह की जमीन है तथा दक्षिण में आम रास्ता सड़क है व पूर्व में फतेहसिंह जी की जमीन है तथा पश्चिम में नन्दलाल मुनीम के वारिसान की जमीन है उक्त वादग्रस्त जमीन के उत्तरी भाग जो सवाईसिंह की जमीन के दक्षिण में व नन्दलाल मुनीम के वारिसान की जमीन के पूर्व में व फतेहसिंह जी की जमीन के पश्चिम में है को वादी बिरजूसिंह काश्त करता है तथा शेष दक्षिणी तरफ के 1/2 हिस्से जो आम रास्ता के उत्तर में है को वादीगण 2 लगायत 6 काश्त करते है। बाद में नया सेटलमेन्ट होकर उक्त वादग्रस्त जमीन पुराना ख.नं. 1230 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं के नये ख.नं. 1291 तादादी 1.49 हैक्टर कर दिये गये। पहाड़सिंह के पुत्र बहादुरसिंह का देहान्त माह जनवरी 2001 में हो गया उनके देहान्त के बाद वादग्रस्त जमीन में उक्त बहादुरसिंह के 1/2 हिस्से का इन्तकाल वादीगण 2 लगायत 6 के हक में तस्दीक हुआ तदनानुसार राजस्व रिर्काड दर्ज हुआ किन्तु पूर्ववत कायम गलत इन्द्राज वर्तमान में भी जारी है और वादग्रस्त जमीन वर्तमान में भी वादीगण की गैर खातेदारी में गलत तौर से दर्ज है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चूका है कि वादग्रस्त जमीन को पहले उक्त पहाड़सिंह ने काश्त किया जिसके वे काश्तकार थे उनके जीवनकाल से व उनके मरणोपरान्त वादग्रस्त जमीन को पहाड़सिंह के दोनों लड़के बिरजूसिंह व बहादुरसिंह ने काश्त किया और बहादुरसिंह के मरणोपरान्त उनके विधिक वारिसान वादीगण 2 लगायत 6 उनके 1/2 हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार वादीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त वादग्रस्त जमीन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त जमीन गलत तौर से वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के वैध कानूनी हक व अधिकारों पर शून्य व बेअसर है तथा उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से वादीगण पाबन्द नहीं है क्योंकि वादीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त जमीन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से प्रभावित होते है इसलिए वादीगण उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराने तथा वादग्रस्त जमीन बाबत स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। इस कारण वर्तमान वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने पूर्व में भी कई बार तहसील कार्यालय में वादग्रस्त जमीन वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने बाबत व गैर खातेदारी के रूप में गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में अंकन को दुरूस्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र दिया है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण वादग्रस्त जमीन के खातेदारी अधिकार कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिनियम प्रभावी होने के 10 वर्ष के भीतर ही प्राप्त करने के अधिकारी थे किन्तु राजस्व रिकार्ड की अनदेखी की गई व पूर्ववत कायम गलत राजस्व रिकार्ड की पुनराव ृति आगामी राजस्व रिकार्ड में की जाती रही। वादीगण ने दिनांक 10.07.2013 को भी प्रतिवादीगण उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने बाबत कार्यवाही करने को कहा तो उन्होने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा तो जिस पर वर्तमान वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। बिनायमुखासमत दावा वादीगण द्वारा

प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत बार–बार कहने व दिनांक 10.07.2003 को भी प्रतिवादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में उक्त बाबत कार्यवाही करने के कहने के रोज अन्दर हदुद अदालते वाला पैदा हुआ। सिद्धियां:– (क) वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त जमीन पुराना ख.नं. 1230 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा नये ख.नं. 1291 तादादी 1.49 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार वादीगण की खातेदारी में उक्त वादग्रस्त जमीन का राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावे तथा पूर्व में कायम गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे व वादग्रस्त जमीन बाबत पूर्ववत कायम गैर खातेदार को विलोपित किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं को जरिये नोटिस मय दावा प्रति वाद पत्र में विवादित भूमि बाबत मौका कब्जा काश्त की रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/2063 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की कि ग्राम बगड़ के ख.नं. 1291 रकबा 1.49 हैक्टर किस्म बंजड़ प्रथम की राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर खातेदारी उम्मेद कंवर पत्नी बहादुरसिंह, श्योपालसिंह, जितेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह, सत्येन्द्रसिंह पुत्रगण बहादुरसिंह हिस्सा 1/2 बिरजूसिंह पुत्र पहाड़सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। मौके के अनुसार उक्त ख. नं. में मौके पर फसल बुआई की हुई है। उक्तानुसार अपनी रिपोर्ट में अंकित करते हुए पेश की गई है जो शामिल मिसल की गई है। वादीगण द्वारा यह वाद पत्र घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश कर वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त जमीन पुराना ख.नं. 1230 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा नये ख.नं. 1291 तादादी 1.49 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदानुसार वादीगण की खातेदारी में उक्त वादग्रस्त जमीन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पूर्व में कायम गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे व वादग्रस्त जमीन बाबत पूर्ववत कायम गैर खातेदार को विलापित किया जाकर खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया गया है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड की प्रतिया पेश की गई है जो इस प्रकार से है– प्रदर्श–1 सत्य प्रति नक्शा ट्रेस संवत् 1993, प्रदर्श–2 सत्य प्रति नक्शा ट्रेस सन् 1992–93, प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–4 सत्य प्रति जमाबंदी संवत् 2012 से 2015, प्रदर्श–5 सत्य प्रति जमाबंदी संवत् 2041 से 2044, प्रदर्श–6 सत्य प्रति जमाबंदी संवत् 2016 से 2019, प्रदर्श–7 सत्यप्रति जमाबंदी, प्रदर्श 8 जमाबंदी संवत् 2069–2072, प्रदर्श 9 खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2011 प्रदर्श 10 2016 से सम्वत् 2019 व प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2032 तथा साक्ष्य स्वरूप में सत्येन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह का चीफ का शपथ पत्र पेश किया गया। हमने वाद पत्र में वर्णित व साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिसमें वाद पत्र में विवादित भूमि के गत ख.नं.1230 तादादी 5 बीघा 18 बिस्वा के

हाल ख.नं. 1291 रकबा 1.49 हैक्टर बना है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट रूप से साबित है। वादीगण का कब्जा काश्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांकित 27.07.2021 से होना जाहिर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों के अवलोकन से वादीगण के पूर्वजों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व कब्जाकाश्त होना साबित होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार अधि. प्रभाव में आने पर वे स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये। आर आर डी 1987 पेज 202 तथा आर आर डी 2001 पेज 411 में भी राजस्व मंडल विद्धान खंडपीठ द्वारा यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। (प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 में पहाड़ जी वल्द गणपत जी राजपूत का कब्जा काश्त होना जाहिर है तथा तत्पश्चात भी लगातार इनका कब्जा काश्त होना जाहिर है। प्रदर्श संख्या 4 जमाबंदी सम्वत 2012–15 पहाड़सिंह वल्द गणपत सिंह कौम राजपूत गैर खातेदार दर्ज हैं।) प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयां व खसरा गिरदावरी से वादीगण का कब्जा काश्त संवत् 2012 के पूर्व से होना बखूबी सिद्ध है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बगड़ स्थित भूमि गत ख.नं. 1230 तादादी 5 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 1291 रकबा 1.49 हैक्टर कायम किये गये। उक्त आराजी के पुराने ख.नं. का मूल खातेदार पहाड़सिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम गैर खातेदार था। उक्त पहाड़सिंह के देहान्त के बाद उक्त आराजी को उसके वारिसान बिरजूसिंह वादी नं. 1 तथा बहादुरसिंह के विधि वारिसान 2 लगायत 6 के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अतः वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के हकदार हैं। अतः वाद वादीगण सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित है। लिहाजाः–

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम बगड़ तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1291 रकबा 1.49 हैक्टर बाबत वादीगण स्व. बिरजूसिंह के विधिवारिसान 1/1 लगायत 1/8 को 1/2 हक हिस्से का व वादीगण 2 लगायत 6 को 1/2 हक हिस्सा का गैर खातेदारी से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक 21.02.22 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः—शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः—139/2021 (नया)

पुराना (299/2013)

उनवान

बिरजू सिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबतः— बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांकः— 21.02.22

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत शर्मा उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम बगड़ तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 1291 रकबा 1.49 हैक्टर बाबत वादीगण स्व. बिरजूसिंह के विधिवारिसान 1/1 लगायत 1/8 को 1/2 हक हिस्से का व वादीगण 2 लगायत 6 को 1/2 हक हिस्सा का गैर खातेदारी से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.02.22 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	26	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	31		00

उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू